

## कार्यालय जिलाधिकारी,मैनपुरी

संख्या : 1846/जि0आ0अधि0-मैनपुरी/व्यवस्थापन 2021-22/दिनांक:मार्च 17, 2021

### ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-18002-74 /टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2021-22/दिनांक:मार्च 16, 2021, के अनुपालन में जनपद मैनपुरी की अवशेष देशी शराब की 01 फुटकर दुकान निनौली(ख)(33587)-वार्षिक एम.जी.क्यू.-10812 ब0ली0,बे0ला0फीस-रु0 383826/-का वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थापन दिनांक 18.03.2021 से 24.03.2021 के मध्य [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर ऑन लाइन ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से किया जायेगा। व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) एवं जनपद की वेबसाइट <http://mainpuri.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा। अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी,कलेक्ट्रेट मैनपुरी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।



(महेन्द्र पाल) 17/03/2021

जिला आबकारी अधिकारी,  
मैनपुरी।



(महेन्द्र बहादुर सिंह)

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी  
मैनपुरी।

संख्या: 1847-49/जि0आ0अ0-मैनपुरी/तददिनांक।

- प्रतिलिपि:-1. सम्पादक अमर उजाला/हिन्दुस्तान मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सशुल्क न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मैनपुरी को जनपद की वेबसाइट एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।



(महेन्द्र पाल) 17/03/2021

जिला आबकारी अधिकारी,  
मैनपुरी।

आवकारी आयुक्त,उभरग के आदेश संख्या-18002-74/ टारक फॉर्स-2/ई-लाटरी / 2021-22 /दिनांक,मार्च 16,2021 के अनुपालन में अवशेष देशी मदिरा की दुकान के ई-टेंडर के माध्यम से चतुर्थ चरण में वर्ष 2021-22 हेतु व्यवस्थापन करायें जाने संबंधी विवरण

क्रमांक	दुकान का नाम	शाप आईडी	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2021-22 हेतु निधारित न्यूनतम एमवीआरयू (बुली में) (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) (वर्ष 2021-22 हेतु निधारित एमवीआरयू का 50 प्रतिशत)	वर्ष 2021-22 हेतु निधारित न्यूनतम बैसिक लाइसेंस फीस (रु० में) (कोटा 35.5)	वर्ष 2021-22 हेतु निधारित न्यूनतम प्रतिभूति धनराशि (रु० में) (ला0फीस का 70 प्रतिशत)	लाइसेंस फीस (रु० में)(कोटा X 225)	न्यूनतम धरोहर धनराशि (रु० में)	न्यूनतम अनिवार्य डिपॉजिट (रु०में) (50ला0फीस +ला0फीस) X 1/6	प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जिनोली(ख)	33587	ग्रामीण	10812	383826.00	244352.0	2443512	38383	471500	20000

  
 जिला आवकारी अधिकारी  
 मैनपुरी